संख्या–876 / पॉच–5–2020

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।**
2. **समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।**
3. **समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।**
4. **समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उ0प्र0।**

चिकित्सा अनुभाग–5 **लखनऊ; दिनांकः 17 अप्रैल, 2020**

विषयः–प्रदेश के जिला चिकित्सालयों में कोविड समर्पित स्तर–1 चिकित्सा इकाईयां एवं आइसोलेशन वार्ड्स बनाने हेतु विस्तृत परिचालन दिशा–निर्देश (Operation Guidelines)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–737 / पांच–5–2020, दिनांक 27.03.2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के जिला चिकित्सालयों में कोविड समर्पित स्तर–1 चिकित्सा इकाईयां एवं आइसोलेशन वार्ड्स बनाने हेतु विस्तृत परिचालन दिशा–निर्देश (Operation Guidelines) निर्गत किये गये हैं।

2– उक्त शासनादेश दिनांक 27.03.2020 के प्रस्तर–4 के बिन्दु–5 में केवल गंभीर रूप से संक्रमित / ग्रसित रोगियों को ही ए0एल0एस0 एम्बुलेंस का उपयोग करके कोविड समर्पित एल–2 / एल–3 चिकित्सा इकाईयों को सन्दर्भित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

3– शासन के संज्ञान में आया है कि कुछ ऐसे विशिष्ट प्रकार के मरीजों जैसे 05 वर्ष से कम आयु के संक्रमित बच्चे, 60 वर्ष से अधिक उम्र के संक्रमित वृद्ध और ऐसे कोरोना संक्रमित मरीज जो पूर्व से किसी अन्य बीमारी जैसे कार्डियक व पल्मोनरी आदि बीमारियों से ग्रसित है, में कॉम्पलीकेशन्स की सम्भावनायें अधिक होती है। अतः इनका उपचार प्रारम्भ से ही एल–2 / एल–3 स्तर के चिकित्सालय में कराया जाना आवश्यक है।

4– अतएव मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गम्भीर रूप से संक्रमित / ग्रसित रोगियों के साथ–साथ निम्नलिखित श्रेणियों के मरीजों को भी ए0एल0एस0 एम्बुलेन्स का उपयोग करके कोविड समर्पित एल–2 / एल–3 चिकित्सा इकाईयों को सन्दर्भित किया जाएगाः–

- 05 वर्ष से कम आयु के संक्रमित बच्चें।
- 60 वर्ष से अधिक उम्र के संक्रमित वृद्ध।
- ऐसे कोरोना संक्रमित मरीज जो पूर्व से ही किसी अन्य बीमारी जैसे कार्डियक व पल्मोनरी आदि बीमारियों से भी ग्रसित है।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

16.4.20

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

Pankaj/GO/COME-3

–2–

संख्या–876 (1)/पांच–5–2020, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन को चिकित्सा शिक्षा विभाग के पत्र संख्या–948/71–2–2020–698/2020 टी0सी0, दिनांक 15.04.2020।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 तकनीकी सहयोग इकाई, लखनऊ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
6. निदेशक, संचारी रोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

16/04/2020

Pankaj/GO/COME-3